

प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक: 17.10.2026

◆"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆लोकसेवक को कर्तव्य निर्वहन के दौरान चोट पहुँचाने के दोषी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास व ₹5,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा

दिनांक 14/15.03.2019 की रात्रि में ग्राम मानीडीह के पास पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान काले रंग की XUV 500 गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर गाड़ी में सवार अभियुक्त गुलाब जायसवाल व अनिल जायसवाल ने पुलिस चेकिंग से बचने के लिए उपनिरीक्षक श्याम बिहारी यादव को गाड़ी से धक्का मार दिया, जिससे वह घायल हो गए और अभियुक्तगण वाहन सहित फरार हो गए। इस संबंध में थाना दुर्गागंज में मु०अ०सं० 08/2019 पंजीकृत कर पुलिस द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया था।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा० न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप श्री दुर्गेश, मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा दोषी अभियुक्तगण 1. गुलाब जायसवाल व 2. अनिल जायसवाल को धारा 332 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को ₹5,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। उपर्युक्त जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। भदोही पुलिस द्वारा अपराधों में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराने की कार्यवाही निरन्तर जारी है।